2010:सीजीएचसी:11818-डीबी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दण्डिक अपील क्रमांक 501/1994

अपीलार्थी : रामभगत

बनाम

प्रतिवादी : मध्य प्रदेश राज्य
(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

---

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश
24.06.2010

माननीय न्यायाधीश श्री आर.एन. चंद्राकर
मैं सहमत हूँ

सही /-
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश
24.06.2010

25.06.2010 को निर्णय सुनाए जाने हेतु सूचीबद्ध करें ।

सही /-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश
25.06.2010

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दण्डिक अपील क्रमांक 501/1994

अपीलार्थी : रामभगत, उम्र 32 वर्ष, पिता दयाराम गोंड, निवासी बरबसपुर, पुलिस थाना रांचीरेयी, जिला दुर्ग, म.प्र., (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

बनाम

प्रतिवादी : मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

---

उपस्थित :
अपीलार्थी की ओर से : श्री उत्तम पांडे अधिवक्ता ।
राज्य की ओर से : आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता ।

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युगल पीठ : माननीय न्यायाधीश श्री धीरेंद्र मिश्रा तथा
माननीय न्यायाधीश श्री आर.एन. चंद्राकर

निर्णय
(आज दिनांक 25.06.2010 को दिया गया)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा द्वारा दिया गया ।

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत यह दांडिक अपील सत्र परीक्षण क्रमांक 107/92 में पारित दोषसिद्धि और दंडादेश दिनांक 19.04.1994 के निर्णय के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने अपीलार्थी को उसकी पत्नी शकुन बाई की मौत के लिए हत्या का दोषी मानते हुए, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है और उसे आजीवन कारावास से दंडित किया है ।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं दर्ज कराई गई प्राथमिकी से परिलक्षित होता है, यह है कि उसने शकुन बाई को अपनी पत्नी के रूप में

रखा और बरबसपुर स्थित एक मकान में उसके साथ रहता था । अपीलार्थी ने अपना मकान और किचन गार्डन किशन गोंड को बेच दिया था । इस बीच, उसकी पत्नी राजनांदगांव अपने माता-पिता के पास चली गई थी । एक सप्ताह बाद, वह बरबसपुर लौट आई और ताला तोड़कर उसी मकान में रहने लगी । जब अपीलार्थी को किशन गोंड से यह बात पता चली, तो वह गुंडरदेही से लौट आया और उसे मनाने की कोशिश की । उसके मना करने पर, उसने उससे झगड़ा किया । शकुन बाई अपनी बेटी मंजू और बेटे सुनील कुमार के साथ उसी घर में रहती थी । वह अपीलार्थी की सलाह के विरुद्ध अक्सर अपने मामा के पास राजनांदगांव जाती रहती थी । दिनांक 04.06.1991 को वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बरबसपुर आया और उसे अपने साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह राजनांदगांव जाने पर अड़ी रही । नतीजतन, घटना वाले दिन उसने उसकी हत्या कर दी । उस समय उसकी बेटी मंजू भी घर पर मौजूद थी । वह रो रही थी और उसे रोक रही थी । उसकी हत्या करने के बाद, उसने घर को बाहर से बंद कर दिया और दोनों बच्चों के साथ प्राथमिकी दर्ज कराने चला गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात, पुलिस घटनास्थल की ओर रवाना हुई । मृतका के शव की जाँच (प्रदर्श-पी/12) तैयार करने के पश्चात, उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय चिकित्सालय, गुंडरदेही भेजा गया, जहाँ डॉक्टर सी.बी. गुप्ता ने पोस्टमार्टम किया और प्रदर्श-पी/8 के अनुसार अपनी रिपोर्ट दी । अपीलार्थी के ज्ञापन प्रदर्श-पी/3 के आधार पर, अपराध में प्रयुक्त हथियार लाठी को प्रदर्श-पी/4 के अनुसार अपीलार्थी से कब्जे में ले लिया गया ।

4. सामान्य विवेचना पूरी करने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को

उपार्पित कर दिया और इसे विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारण के लिए अन्तरण पर प्राप्त किया ।

5. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप विरचित किया, जिसने अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया ।

6. अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए 10 साथियों का परिक्षण कराया । इसके बाद, अभियुक्त का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया । अपीलार्थी ने अभियोजन पक्ष के मामले में अपने विरुद्ध प्रस्तुत परिस्थितियों से इनकार किया और अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया और निर्णय के अनुच्छेद -1 में उल्लिखित अनुसार दंडित किया ।

8. शकुन बाई की हत्या से संबंधित मृत्यु विवाद का विषय नहीं है । अन्यथा, अपीलार्थी और मृतक की पुत्री, अ.सा.-2 मंजू, जो घटना को देखने का दावा करती है, के साक्ष्य से और डॉक्टर सी.बी. गुप्ता (अ.सा.-7) के साक्ष्य के आधार पर, जिन्होंने मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया था और निम्नलिखित चोटें पाई थीं और यह राय दी थी कि मृतक की मृत्यु गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई थी और यह हत्या की प्रकृति मानववध थी, मृतक की मृत्यु मानववध स्थापित होती है :-

i.) मृतक की जीभ सूजी हुई थी और दांतों के बीच कटी हुई थी;

ii.) आँखें बाहर निकली हुई और फैली हुई थीं । सिर और गर्दन के बीचों-बीच चोट के निशान थे और ये किसी कठोर और कुंद वस्तु से कारित हुए थे ।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तम पांडे ने तर्क दिया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि

मुख्यतः लगभग 6 वर्ष की बाल साक्षी मंजू के साक्ष्य पर आधारित है । मुख्य परीक्षा में, यद्यपि उसने यह कथन दिया है कि उसके पिता ने मृतक की लाठी से हत्या की थी, परन्तु उसके प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वह प्रशिक्षित साक्षी है । वह अपने मामा के साथ न्यायालय में आई थी और उसने अपने मामा द्वारा प्रशिक्षित होने का साक्ष्य दिया था । इस प्रकार, उसकी आयु और प्रतिपरीक्षण में उसके कथन को देखते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा उसके साक्ष्य पर भरोसा करना उचित नहीं था और संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए था । उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने, इस तथ्य के आधार पर कि अपीलार्थी ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज की थी, प्राथमिकी में आरोप के आधार पर यह माना है कि घटना के समय घर में केवल मंजू और आरोपी ही मौजूद थे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अघनू नागेसिया बनाम बिहार राज्य {एआईआर 1966 एससी 119} मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि जहाँ अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को प्राथमिकी दी जाती है, वह स्वीकारोक्ति कथन के बराबर होती है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत स्वीकारोक्ति का प्रमाण निषिद्ध है । स्वीकारोक्ति में न केवल अपराध की स्वीकृति शामिल है, बल्कि स्वीकारोक्ति कथन में निहित अपराध से संबंधित सभी अन्य दोषपूर्ण तथ्यों की स्वीकृति भी शामिल है और स्वीकारोक्ति कथन का कोई भी भाग साक्ष्य में स्वीकार करने योग्य नहीं है ।

10. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि यह घर के अंदर पति द्वारा की गई पत्नी की हत्या है ।

भेरू सिंह, पिता कल्याण सिंह बनाम राजस्थान राज्य {1994 2 SCC 467} के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि जहाँ प्राथमिकी अभियुक्त द्वारा स्वयं पुलिस अधिकारी को दी जाती है, वहाँ स्वीकारोक्ति कथन का कोई भी भाग साबित या साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, हालाँकि, यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य सीमा तक स्वीकार्य है । सूचना का गैर-

स्वीकारोक्ति वाला भाग साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के तहत भी सुसंगत होगा । प्राथमिकी में, अपीलार्थी ने घटना के समय घर में मंजू की उपस्थिति का उल्लेख किया है । प्राथमिकी का यह भाग गैर-स्वीकारोक्ति योग्य है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के तहत सुसंगत है । उपरोक्त तथ्य की पृष्ठभूमि में बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना है ।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया, अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आक्षेपित निर्णय का भी अवलोकन किया गया ।

12. अभि.सा.-10, भीखम सिंह ने बयान दिया है कि उन्होंने अपीलार्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रदर्श-पी/1 की प्राथमिकी दर्ज की । प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने कहा कि अभियुक्त ने उन्हें बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, जिसके बाद उन्होंने गवाहों की उपस्थिति में प्राथमिकी दर्ज की ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अ. सा. - 1, इतवारी ने प्राथमिकी (प्रदर्श - पी/1) में अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं, हालाँकि, उन्होंने यह बयान दिया है कि वे थाने से 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं । घटना के दिन उन्हें थाने में बुलाया गया था और उन्होंने प्रधान आरक्षक के कहने पर अपने हस्ताक्षर किए थे । अपीलार्थी ने उनकी उपस्थिति में कोई जानकारी नहीं दी, हालाँकि प्रधान आरक्षक ने उन्हें बताया था कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और प्राथमिकी दर्ज करा दी है । प्राथमिकी के दूसरे गवाह ओम प्रकाश का परिक्षण नहीं कराया गया है । अपीलार्थी ने न तो अपने बचाव में किसी गवाह का परिक्षण कराया है और न ही उन परिस्थितियों की व्याख्या की है, जिनमें उसने प्रदर्श-पी/1 की प्राथमिकी दर्ज कराई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपनी परीक्षा के प्रश्न संख्या 26 के उत्तर में, जिसमें भीखम सिंह ने कहा है कि उसने रामभगत द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी को उसके द्वारा बताए गए प्रदर्श-पी/1 के माध्यम से दर्ज किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसने केवल यह कहा है कि यह गलत है ।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि गवाह इत्तवारी ने इस बात से इनकार किया है कि अपीलार्थी ने पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और दूसरे गवाह ओम प्रकाश, जिनकी उपस्थिति में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, का परिक्षण नहीं कराया गया है और अपीलार्थी ने कोई प्राथमिकी दर्ज कराने से इनकार किया है । इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी ।

14. हम उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं और हमें कोई कारण नहीं दिखता कि अ.सा. - 10 भीखम सिंह, जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज की और जिन्होंने अपीलार्थी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को साबित किया है और प्राथमिकी पर उनके हस्ताक्षर हैं, को अविश्वसनिय क्यों माना जाना चाहिए और तदनुसार, हम मानते हैं कि प्रदर्श – पी / 1 की प्राथमिकी अपीलार्थी द्वारा पुलिस स्टेशन में दी गई थी और उसके बाद जांच शुरू हुई थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. हमारे विचारणीय प्रश्न यह है कि - अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को दी गई संस्वीकृती प्राथमिकी का साक्ष्यिक मूल्य क्या है ?

16. इस प्रश्न पर विचार करते हुए, अघनू नागेसिया (पुर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों ने यह माना कि जहां अभियुक्त द्वारा दी गई प्राथमिकी संस्वीकृती बयान के बराबर है, उसका सबूत धारा 25 द्वारा निषिद्ध है । संस्वीकृती बयान में न केवल अपराध की स्वीकृति शामिल है, बल्कि संस्वीकृती बयान में निहित अपराध से संबंधित सभी अन्य तथ्यों की स्वीकृति भी शामिल है । संस्वीकृती बयान का कोई भी हिस्सा साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने योग्य नहीं है, सिवाय इसके कि धारा 25 का प्रतिबंध धारा 27 द्वारा हटा दिया गया हो । आगे यह माना गया है कि अभियुक्त को प्राथमिकी के निर्माता के रूप में पहचानने वाले औपचारिक भाग और इस तथ्य के अलावा कि जांच शुरू हो गई है, कोई अन्य भाग साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।

17. भेरू सिंह (पुर्वोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते हुए, इस प्रकार निर्णय दिया :-

"जहाँ अभियुक्त द्वारा स्वयं पुलिस कार्यालय में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और वह एक संस्वीकृती बयान के बराबर होती है, वहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत संस्वीकृती बयान को साबित करना प्रतिबंधित है । संस्वीकृती बयान के किसी भी हिस्से को साक्ष्य के रूप में साबित या स्वीकार नहीं किया जा सकता, सिवाय उस सीमा तक जहाँ तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 द्वारा अनुमति दी गई हो । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत दर्ज प्राथमिकी ठोस साक्ष्य नहीं है । इसका इस्तेमाल साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत सुचनाकर्ता की पुष्टि करने के लिए या साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत उसका खंडन करने के लिए किया जा सकता है, अगर सुचनाकर्ता मुकदमे में गवाह के रूप में पेश होता है । जहाँ अभियुक्त स्वयं प्राथमिकी दर्ज कराता है, वहाँ पुलिस को सूचना देने का तथ्य उसके विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत उसके आचरण के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और जहाँ तक यह गैर-स्वीकारोक्ति प्रकृति का है, यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के तहत भी सुसंगत होगा, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रतिबंध के मद्देनजर अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को दी गई प्राथमिकी के स्वीकारोक्ति वाले हिस्से का उसके विरुद्ध बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. यदि हम उपरोक्त निर्णयों के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करते हैं, तो हमारी राय है कि भीखम सिंह (अ.सा. - 10) के साक्ष्य से, जिसने प्रदर्श - पी/1 की प्राथमिकी को साबित किया है, यह स्थापित होता है कि विचाराधीन अपराध की प्राथमिकी अपीलार्थी द्वारा दर्ज कराई गई थी और प्रदर्श - पी/1 के तहत अपराध दर्ज करने के बाद

विवेचना शुरू की गई थी । प्राथमिकी में उल्लिखित अन्य तथ्य अर्थात अपीलार्थी ने मृतका को अपनी पत्नी के रूप में रखा और जिस मकान में वे रह रहे थे उसे उसने किशन गोंड नामक व्यक्ति को बेच दिया और उसकी पत्नी ने उसी मकान का ताला तोड़ दिया और वहां रहने लगी; उसने अपनी पत्नी को वह घर छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की और उसे न जाने पर डांटा; विभिन्न बहानों पर उसकी पत्नी के साथ अक्सर झगड़े होते थे और उसके बाद, उसने अपनी बेटी मंजू की उपस्थिति में उसकी हत्या कर दी और मृतका और बेटी को घर में छोड़ दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया; इसे साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि ये सभी साक्ष्य स्वीकारोक्ति के समान हैं और साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत साक्ष्य में इसकी स्वीकृति निषिद्ध है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अ.सा. - 2, मंजू मृतक और अपीलार्थी की 6 वर्षीय पुत्री है । विचारण न्यायालय ने उससे कुछ प्रारंभिक प्रश्न पूछने के बाद, बिना शपथ दिलाए उसका बयान दर्ज किया । इस साक्षी ने गवाही दी है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है । उसकी हत्या उसके पिता (बाबू) ने की थी । उसने उस पर लाठी से हमला किया था । उसने न्यायालय में अपीलार्थी की पहचान अपने पिता के रूप में की है ।

20. प्रतिपरीक्षण के दौरान, इस सवाल के जवाब में कि क्या वह अपने मामा के साथ आई है, उसने हाँ में जवाब दिया । एक अन्य सवाल के जवाब में कि उसके मामा ने उसे क्या बताया है, उसने कहा कि उन्होंने उसे घटना के बारे में बताने के लिए कहा है । एक अन्य सवाल के जवाब में कि क्या उसके मामा ने उसे बताया था कि उसके पिता ने उसकी माँ की गर्दन दबाकर और पैर खींचकर हत्या कर दी थी, उसने जवाब दिया कि उन्होंने उसे यह बताया था । इस सवाल पर कि क्या वह अपने मामा द्वारा प्रशिक्षित होकर गवाही दे रही है, उसने हाँ में जवाब दिया । अभियोजन पक्ष द्वारा पुनः परीक्षण करने पर कि क्या उसने घटना देखी है, उसने हाँ में जवाब दिया और कहा कि वह वही गवाही दे रही है जो उसने देखा है और उसके मामा ने भी यही बताया है । आगे के

प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा दिए गए इस सुझाव पर कि "उसने घटना नहीं देखी है", उसने जवाब दिया "मैं जाग गई थी", हालाँकि बचाव पक्ष द्वारा दिए गए अन्य दो सुझावों पर कि वह अपने मामा द्वारा प्रशिक्षित होकर गवाही दे रही है, उसने हाँ में जवाब दिया ।

21. हमारे विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या बाल साक्षी के साक्ष्य पर अंतर्निहित भरोसा रखकर अपीलार्थी को दोषी ठहराना विचारण न्यायालय के लिए उचित था ?

22. निर्विवाद रूप से, अ.सा. - 2, मंजू अपीलार्थी और मृतक की बेटी है । घटना के समय वह अपनी मां के साथ रह रही थी । बचाव पक्ष ने प्रतिपरीक्षण में यह नहीं बताया कि अपीलार्थी घटना के समय घर में मौजूद नहीं थी । बचाव पक्ष के इस सुझाव का कि उसने घटना नहीं देखी है, उसने दृढ़ता से खंडन किया है और कहा है कि वह उस समय जाग रही थी । बाल साक्षी के बयान को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि अपीलार्थी ने स्वयं पुलिस को प्राथमिकी दी थी और उसकी प्राथमिकी के आधार पर अपराध दर्ज किया गया था और उसके बाद विवेचना शुरू हुई थी । अपीलार्थी ने उन परिस्थितियों के बारे में नहीं बताया है जिनमें वह पुलिस थाना गया और प्राथमिकी दर्ज कराई और उसकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. इस प्रकार, यदि हम इस तथ्य की पृष्ठभूमि में बाल साक्षी के साक्ष्य की जांच करते हैं, तो अपीलार्थी ने स्वयं पुलिस को संबंधित अपराध के बारे में प्राथमिकी दी थी और उसने उन परिस्थितियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है जिसमें वह पुलिस थाना गया था और प्राथमिकी दर्ज कराई थी, न तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में और न ही किसी बचाव पक्ष के गवाह के परीक्षण के माध्यम से । उसने मौके पर अपनी उपस्थिति से भी इनकार नहीं किया है । अपीलार्थी का एकमात्र बचाव यह है कि अ.सा. - 2, मंजू एक प्रशिक्षित साक्षी है । अ.सा. - 2 मंजू के साक्ष्य और अपीलार्थी

के समग्र आचरण की बारीकी से जांच करने पर, हमें बाल साक्षी की गवाही को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, भले ही उसने कहा है कि उसे उसके मामा ने प्रशिक्षित किया है और कुल मिलाकर इस गवाह के साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करते हैं ।

24. उपरोक्त कारणों से, हमारा मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा अ.सा. - 2 मंजू के साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही करना तथा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराना तथा दंडित करना पूर्णतः न्यायोचित था ।

25. परिणामस्वरूप, हमें इस अपील में कोई सार नहीं पाते है, यह खारिज किए जाने योगय है तदानुसर रद्द की जाती है । अपीलार्थी जमानत पर है । उसके जमानत पत्र रद्द किए जाते हैं और उसे तत्काल विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है ताकि उस पर अधिरोपित दंड उसे भुगतायी जा सके ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

सही /-
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.**